

मांग संख्या 76

राज्य सभा

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	90.11	90.11	...	90.07	90.07	...	95.13	95.13	
पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़</b>	...	<b>90.11</b>	<b>90.11</b>	...	<b>90.07</b>	<b>90.07</b>	...	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>	
<b>संसद-राज्य सभा</b>										
1. सभापति और उप-सभापति	2011	...	0.20	0.20	...	0.22	0.22	...	0.23	0.23
2. विपक्ष के नेता और उनका सचिवालय	2011	...	0.30	0.30	...	0.36	0.36	...	0.39	0.39
3. सदस्य	2011	...	61.20	61.20	...	61.50	61.50	...	64.80	64.80
4. सचिवालय	2011	...	26.88	26.88	...	27.28	27.28	...	29.14	29.14
5. मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेताओं, उपनेताओं तथा मुख्य सचेतकों का सचिवालय	2011	...	0.07	0.07	...	0.06	0.06	...	0.07	0.07
6. आईपीयू के अध्यक्ष का कार्यालय	2011	...	0.96	0.96	...	0.15	0.15	...	...	...
7. अन्य व्यय	2011	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>90.11</b>	<b>90.11</b>	...	<b>90.07</b>	<b>90.07</b>	...	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>

इसमें राज्य सभा के सभापति, उप-सभापति, राज्य सभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय, मान्यताप्राप्त दलों और समूहों के नेताओं, उप-नेताओं और मुख्य सचेतकों के सचिवालय, अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष के कार्यालय, राज्य सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा सचिवालय के वेतन तथा यात्रा व्यय इत्यादि का प्रावधान किया गया है।